

न्यायालय अंचल अधिकारी, हेहल, राँची ।

विषय :- विविध वाद

वाद सं० :- 02/2017-18

अंचल :- हेहल, जिला- राँची।

29-5-17

आवेदक सोना देवी पति- श्री भरत प्रसाद सिंह मौजा- हेहल, थाना पण्डरा ओ०पी० हेहल, राँची ने ग्राम हेहल, खाता सं०- 176/124, प्लॉट नं०- 19, रकबा- 40 डी० भूमि पर अवस्थित मकान में श्रीमति प्रभा देवी पति- श्री राजकिशोर सिंह एवं श्रीमति रेखा देवी पति- स्व० अमरेन्द्र प्र० सिंह ग्राम- हेंसल देवी मंडप रोड, थाना- ओ० पी० पण्डरा, द्वारा कब्जा किये जाने पर खाली करने हेतु आवेदन दिये हैं। रा०कर्म० से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। इन्होंने प्रतिवेदित किये हैं कि प्रश्नगत भूमि पंजी II के पृष्ठ रा० IV/39 में खाता नं० 176, प्लॉट नं०- 19, रकबा- 36.75 डी० श्रीमति सोना देवी पति- भरत प्रसाद सिंह के नाम से दर्ज है तथा लगान रसीद सं० 5252801 दिनांक 09.08.2012 वर्ष 2011-12 निर्गत दर्ज है।

स्थल जॉच में उपरोक्त भूमि पर दो मकान बना पाया गया। जिसमें राज किशोर सिंह एवं रेखा देवी रहती है जॉच के क्रम में उन्होंने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। आर०एस० खतियान में खाता नं०- 176, प्लॉट नं०- 19, रकबा- 3.32 एकड़ गंगा प्रसाद बुधुआ पिता- राम साहब गनपत राय के नाम से दखलकार दर्ज है। शहरी भू-हदबंदी वाद सं०- 234/238/76 द्वारा प्लॉट सं०- 19, रकबा- 1313.16 वर्गफीट अधिगृहित किया गया है। दोनों पक्षों को सबुती कागजातों के साथ दिनांक 19.05.2017 को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 29.05.2017 आदेश निर्गत है।

दोनों पक्ष उक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित हुए प्रथम पक्ष द्वारा लगान रसीद शुद्धि पत्र, खतियान, निबंधन पट्टा, नगर निगम द्वारा निर्गत होल्डिंग टैक्स की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में सबुती कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी है।

अतः दोनों पक्षों को दिनांक 12.07.2017 को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अभिलेख दिनांक 12.07.2017 को रखें।

लेखापित/संशोधित

अंचल अधिकारी
हेहल राँची।

अंचल अधिकारी
हेहल, राँची।

12/6/17

कलकत्ता के अधिवक्ता,
आवेदक के पति श्री भरत प्रसाद सिंह अपील करते हैं।
द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता प्रमाणित एवं श्रीमति रेखा देवी-
ने अपना पक्ष रखने हेतु श्री रेखा देवी बुधुआ, दिनांक 19.05.2017 को अधिवक्ता किशोर गंग नगरी बन के लॉकर में
श्रीमती प्रभुत किशोर गंग एवं कागजी तिथि के दोनों
का हकीकत पक्ष प्रस्तुत करने की बात कही गई।

आतः कागजी तिथि 28/06/2017 निर्धारित।
विश्व कर्ता है। कलकत्ता उक्त रसीद के लिये।

12/6/17

कागजी तिथि 28/06/17
श्रीमती प्रभुत किशोर गंग

28/07/17

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત | એનો પત્ર ઉપસ્થાપિત | અન્ય કાર્ડ જે અપર
અભિલેખ કિંગ્ડમ-5-2-12 નો રહેલો

28/07/17
મ. મ.
દેવલ

5-7-17

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત | અન્ય કાર્ડ જે અપર | અભિલેખ કિંગ્ડમ 12-7-17 નો રહેલો

05/07/17
મ. મ.
દેવલ

12-7-17

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત | દ્વિતીય પક્ષો બા મોરિસ ગિર્મિ
કારે 05 12/07/2017 નો ઉપસ્થાપિત હોય | સર્મા
ફાલે સમ્બંધિત બા ગણત બો કિંગ્ડમ ને લિપ્ત
કહા ગયા છે / કિન્તુ પ્રથમ પક્ષ પંચ દ્વિતીય પક્ષ
દોનો ઉપસ્થાપિત 05 / પ્રાદેશ દેતુ રહેલો

12/7/17

મ. મ.
દેવલ

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

आदेश

यह वाद आवेदिका सोना देवी पति श्री भरत प्रसाद सिंह, ग्राम-हेहल, थाना-पंडरा ओ०पी०, रॉंची के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदिका ने समर्पित अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि, "मैं श्रीमती सोना देवी, खाता नं०-176/124 प्लॉट नं०-19, रकबा-40 डी०, ग्राम-हेहल रॉंची की निवासी हूँ। मेरे जमीन पर श्रीमती प्रभा देवी, पति श्री राज किशोर सिंह एवं श्रीमती रेखा देवी पति स्व० अरमेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-हेसल, देवी मंडप रोड, थाना-ओ०पी० पण्डरा पो०-हेहल, कब्जा किये हुए है। मेरा रसीद 2012-13 तक कटा हुआ है। रजिस्टर II में मेरा नाम अंकित है। मैंने कोशिश की थी खाली करवाने की, पर वे लोग दबंग हैं और मारपीट पर उतर आते हैं। मुझे अपने जमीन पर कब्जा दिलाने की कृपा की जाय।"

उक्त मामले की जांच हल्का कर्मचारी से करायी गयी। हल्का कर्मचारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में कहा है कि, "प्रश्नगत भूमि की मांग पंजी II के पेज नं०-IV/39 में खाता नं०-176 प्लॉट नं०-19 रकबा-36¾ डी० भूमि श्रीमती सोना देवी पति भरत प्रसाद सिंह के नाम दर्ज है तथा लगान रसीद सं०-5252801 दिनांक 09.08.12 वर्ष 2011-12 निर्गत दर्ज है। स्थल जांच में उपरोक्त भूमि पर दो मकान बना पाया गया जिसमें राज किशोर सिंह एवं रेखा देवी रहती है। जांच के क्रम में राज किशोर सिंह ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। आर०एस० खतियान में खाता नं०-176 प्लॉट नं०-19 रकबा-3.32 ए० भूमि गंगा प्रसाद दुधुवा पिता राम साहब गणपत राय के नाम दखलकार दर्ज है। शहरी भू-हदबन्दी वाद सं०-234 से 238 द्वारा प्लॉट नं०-19 रकबा-13173.16 वर्गमीटर अधिग्रहित किया गया है।"

अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों/कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि, आवेदिका के प्रश्नगत भूमि पर बने मकान पर (1) श्रीमती प्रभा देवी, पति श्री राज किशोर सिंह एवं (2) श्रीमती रेखा देवी पति स्व० अरमेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-हेसल, देवी मंडप रोड, थाना-ओ०पी० पण्डरा पो०-हेहल द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। वस्तुतः यह विवाद दो पक्षकारों के बीच रैयती भूमि पर बने मकान पर कब्जा दिलाने से संबंधित है। इस प्रकार के मामले का निष्पादन सक्षम न्यायालय अर्थात् सिविल कोर्ट से होना है। अतः संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर विवाद का निपटारा करा सकते हैं।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापति
310310

18/7/17
अंचल अधिकारी,
हेहल, रॉंची।